[illegible]

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

[illegible]

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारण्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

[illegible]

आदेश दिनांक 15.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को रिस्ट्रक्चर कर दिनांक 27.12.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **अप्रार्थी श्रीमति कंचन भरानी के स्वामित्व की फ्लैट नम्बर ए–405 फोर्थ फलोर स्थित ग्राम रामनगरिया सनराईज अर्पाटमेंट श्रीराम विहार योजना प्लाट नम्बर 7,8,9,26,27 व 28 जयपुर सिटी चौकडी हवाली शहर तहसील सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 1622 वर्ग फीट एवं रेजीडेन्सीयल पेंटहाउस नम्बर ए–505 पंचम फलोर मय टेरेस, स्थित ग्राम रामनगरिया सनराईज अर्पाटमेंट श्रीराम विहार योजना प्लाट नम्बर 7,8,9,26,27 व 28 जयपुर सिटी चौकडी हवाली शहर तहसील सांगानेर जयपुर कुल सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल 1404 वर्गफीट एवं श्री श्याम सुन्दर भरानी के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नम्बर ए–406 फोर्थ फलोर स्थित ग्राम रामनगरिया सनराईज अर्पाटमेंट श्रीराम विहार योजना प्लाट नम्बर 7,8,9,26,27 व 28 जयपुर सिटी चौकडी हवाली शहर तहसील सांगानेर जयपुर सुपर बिल्ड अप क्षेत्रफल 1619 वर्ग फीट एवं रेजीडेन्सीयल पेंटहाउस नम्बर ए–506 पंचम फलोर मय टेरेस, स्थित ग्राम रामनगरिया सनराईज अर्पाटमेंट श्रीराम विहार योजना प्लाट नम्बर 7,8,9,26,27 व 28 जयपुर सिटी चौकडी हवाली शहर तहसील सांगानेर जयपुर कुल सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल 1308 वर्गफीट** बन्धक रख कर 1,36,77,350/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.09.2022 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये। उक्त नोटिस दी इण्डियन एक्सप्रेस व सीमा संदेश अखबारों में साया भी करवाया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवष्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 1,36,77,350/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राषि 1,43,38,698/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 14.09.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिषत से अधिक राषि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **अप्रार्थी श्रीमति कंचन भरानी के स्वामित्त्व की फ्लैट नम्बर ए–405 फोर्थ फलोर स्थित ग्राम रामनगरिया सनराईज अर्पाटमेंट श्रीराम विहार योजना प्लाट नम्बर 7,8,9,26,27 व 28 जयपुर सिटी चौकडी हवाली शहर** तहसील **सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 1622 वर्ग फीट एवं रेजीडेन्सीयल पेंटहाउस नम्बर ए–505** पंचम फलोर मय टेरेस, स्थित ग्राम रामनगरिया सनराईज अर्पाटमेंट श्रीराम विहार योजना प्लाट नम्बर **7,8,9,26,27 व 28 जयपुर सिटी चौकडी हवाली शहर तहसील सांगानेर जयपुर कुल सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल 1404 वर्गफीट एवं श्री श्याम सुन्दर भरानी के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नम्बर ए–406 फोर्थ फलोर स्थित ग्राम रामनगरिया सनराईज अर्पाटमेंट श्रीराम विहार योजना प्लाट नम्बर 7,8,9,26,27 व 28 जयपुर सिटी चौकडी हवाली शहर तहसील सांगानेर जयपुर सुपर बिल्ड अप क्षेत्रफल 1619 वर्ग फीट एवं रेजीडेन्सीयल पेंटहाउस नम्बर ए–506** पंचम फलोर मय टेरेस, स्थित ग्राम रामनगरिया सनराईज अर्पाटमेंट श्रीराम विहार योजना प्लाट नम्बर **7,8,9,26,27 व 28 जयपुर सिटी चौकडी हवाली शहर तहसील सांगानेर जयपुर कुल सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल 1308 वर्गफीट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेष दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक **15.02.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर